भारत 6जी एलायंस

संदर्भ: दूरसंचार विभाग (DoT) ने अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक के क्षेत्र में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत 6G एलायंस की शुरुआत की है।

- भारत 6जी एलायंस (बी6जीए) का गठन सार्वभौमिक और किफायती कनेक्टिविटी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने और भारत के दूरसंचार क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक विकसित करने के लिए किया गया है।
- B6GA एक सहयोगी मंच है जिसमें सार्वजनिक और निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान और मानक विकास संगठन शामिल हैं।
- B6GA का लक्ष्य अन्य 6G वैश्विक गठबंधनों के साथ साझेदारी स्थापित करके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।
- भारत 6जी एलायंस की आधिकारिक वेबसाइट (https://bhart6galliance.com) लॉन्च कर दी गई है।
- दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीटीडीएफ) के तहत 240.51 करोड़ के अनुदान के साथ दो परियोजनाओं की घोषणा की गई:
  - समीर(SAMEER), आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी पटना का संघ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम (ओएएम) और मल्टीप्लेक्सिंग के साथ 6जी THz टेस्टबेड के विकास पर काम करेगा।
  - कंसोर्टियम में शामिल आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईआईआईटी) दिल्ली, सिग्नलचिप इनोवेशन, सिग्नलट्रॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, सैस्मोस हेट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एसएफओ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ईआरनेट इंडिया, क्वानफ्लुएंस प्राइवेट लिमिटेड, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एनएवी टेक और तेजस नेटवर्क एडवांस्ड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्ट बेड पर सहयोग करेंगे।

भारत 6जी अलायंस (बी6जीए):

- बी6जीए का लक्ष्य प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं से परे 6G की व्यावसायिक और सामाजिक आवश्यकताओं को समझना है।
- यह 6जी प्रौद्योगिकी के लिए उच्च प्रभाव वाले खुले अनुसंधान और विकास पहल को बढ़ावा देता है।
- बी6जीए भारत में 6G प्रौद्योगिकियों के डिजाइन, विकास और नियोजन के लिए भारतीय स्टार्टअप, कंपनियों और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लाता है।
- यह देश के भीतर मानकों से संबंधित पेटेंट निर्माण में तेजी लाता है और अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठनों में सक्रिय रूप से योगदान देता है।
- इसका उद्देश्य भारत को 6जी नवाचार में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना, भारतीय दूरसंचार प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं के लिए बाजार पहुंच की सुविधा प्रदान करना और प्रौद्योगिकी स्वामित्व एवं स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- बी6जीए का लक्ष्य आयात को कम करना, निर्यात के अवसरों को बढ़ावा देना और बौद्धिक संपदा के निर्माण को बढ़ाना है।

दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष (टीटीडीएफ):

- डिजिटल अंतराल को कम करने और अत्याधुनिक तकनीकों को विकसित करने के लिए DoT/USOF द्वारा टीटीडीएफ योजना शुरू की गई थी।
- यूएसओएफ से वार्षिक संग्रह का 5% अनुसंधान और विकास के वित्तपोषण के लिए टीटीडीएफ योजना को आवंटित किया जाता है।
- यह योजना स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करती है और शिक्षा जगत, स्टार्ट-अप, अनुसंधान संस्थानों एवं उद्योग के बीच तालमेल बनाती है।
- दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के विकास और विनिर्माण के लिए भारतीय संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है।
- यह योजना देशव्यापी आवश्यकताओं को पूरा करने और दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए मानकों, अनुसंधान, डिजाइन, प्रोटोटाइप, उपयोग के मामलों और अवधारणा परीक्षण के निर्माण को लक्षित करती है।

राजनीतिक दलों के खातों की ऑनलाइन फाइलिंग

संदर्भ: चुनाव आयोग ने एक वेब पोर्टल जारी किया है जो राजनीतिक दलों को अपने वित्तीय खाते को ऑनलाइन दर्ज करने की अनुमति प्रदान करता है।

- चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए अपने वित्तीय खाते ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक वेब पोर्टल (https://iems.eci.gov.in/) को लॉन्च किया है।
- राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को योगदान रिपोर्ट, वार्षिक लेखा परीक्षा और चुनाव व्यय विवरण को प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- ऑनलाइन फाइलिंग प्रणाली का उद्देश्य फाइलिंग प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना और वित्तीय विवरणों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करता है।
- ऑनलाइन डेटा की उपलब्धता से अनुपालन और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे प्रस्तुत करने की समय सीमा को पूरा करें, राजनीतिक दलों को पंजीकृत मोबाइल नंबरों और ईमेल के माध्यम से अनुस्मारक भेजे जाएंगे।
- ऑनलाइन फाइलिंग मॉड्यूल का उपयोग करने में राजनीतिक दलों की सहायता के लिए एक मार्गदर्शक मैनुअल, प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न और व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे।
- ऑनलाइन फाइलिंग का विकल्प नहीं चुनने वाले पक्षों को लिखित कारण बताना होगा और सीडी/पेन ड्राइव के साथ हार्ड कॉपी दाखिल करना जारी रखना होगा।
- आयोग ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग न करने के लिए पार्टी के औचित्य के साथ ऑफ़लाइन दायर की गई सभी वित्तीय रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

राजनीतिक फंडिंग

कानूनी प्रावधान :

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की धारा 29B राजनीतिक दलों को सरकारी कंपनियों को छोड़कर व्यक्तियों और कंपनियों से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करने की अनुमति देती है।
- आरपीए की धारा 29 C पार्टियों को चुनाव आयोग (EC) को एक रिपोर्ट जमा करके 20,000 रुपये से अधिक के दान की घोषणा करने का आदेश देती है। ऐसा करने में विफलता किसी पार्टी को आयकर अधिनियम के तहत कर राहत से अयोग्य घोषित कर देती है।

भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा धन जुटाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियाँ:

- **व्यक्तिगत:**
  - राजनीतिक दल आरपीए की धारा 29B के अनुसार व्यक्तियों से दान प्राप्त कर सकते हैं।
- **राज्य/सार्वजनिक अनुदान:**
  - सरकार चुनाव-संबंधी उद्देश्यों के लिए पार्टियों को धन प्रदान करती है।
  - प्रत्यक्ष वित्त पोषण: सरकार सीधे राजनीतिक दलों को धन प्रदान करती है (कर द्वारा निषिद्ध)।
  - अप्रत्यक्ष फंडिंग: अन्य माध्यमों में मुफ्त मीडिया पहुंच, सार्वजनिक रैली स्थल और सब्सिडी वाली परिवहन सुविधाएं (विनियमित माध्यम से) शामिल हैं।
- **कॉर्पोरेट फंडिंग:**
  - कॉर्पोरेट निकायों द्वारा दान कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा शासित होता है।

- राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए कंपनियों को कम से कम तीन साल पुराना होना चाहिए।
- योगदान पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किए गए औसत शुद्ध लाभ का 7.5% तक हो सकता है।
- ऐसे योगदान का खुलासा कंपनी के लाभ और हानि खाते में किया जाना चाहिए।
- योगदान के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी आवश्यक है।
- उल्लंघन के परिणामस्वरूप योगदान की गई राशि का 5 गुना तक जुर्माना हो सकता है और दोषी अधिकारियों को कारावास भी हो सकता है।

➢ **चुनावी ट्रस्ट:**

- स्वैच्छिक योगदान प्राप्त करने के लिए भारत में बनाई गई गैर-लाभकारी कंपनियाँ।
- जनवरी 2013 के बाद गठित चुनावी ट्रस्टों को प्राप्त और वितरित धन की घोषणा करनी होगी।
- केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में पंजीकृत राजनीतिक दलों को कुल आय का 95% दान देना अनिवार्य है।

राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन

संदर्भ: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के शहडोल में किया गया।

➢ राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन भारत में मुख्य रूप से आदिवासी आबादी के बीच सिकल सेल रोग से उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है।

➢ इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2023 में की गई थी, और इसका लक्ष्य 2047 तक सिकल सेल आनुवंशिक संचरण को खत्म करना है।

➢ **कवरेज:** कार्यक्रम गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड सहित 17 उच्च फोकस वाले राज्यों में लागू किया जाएगा। ,

➢ **उद्देश्य:** मुख्य उद्देश्य सिकल सेल आनुवंशिक संचरण को खत्म करना और सिकल सेल रोग के भार को कम करना है।

लक्ष्य:

➢ कार्यक्रम का लक्ष्य 0 से 18 वर्ष की आयु तक की पूरी आबादी को कवर करना और धीरे-धीरे कवरेज को 40 वर्ष तक विस्तारित करना है।

➢ तीन वर्षों (2023-24 से 2025-26) की अवधि में, लगभग 7.0 करोड़ लोगों की सिकल सेल रोग के लिए जांच की जाएगी।

रणनीति के तीन स्तंभ:

स्वास्थ्य संवर्धन:

➢ जागरूकता पैदा करने और विवाह पूर्व आनुवंशिक परामर्श प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

रोकथाम:

➢ इसमें सार्वभौमिक जांच और सिकल सेल रोग का शीघ्र पता लगाना शामिल है।

समग्र प्रबंधन और देखभाल की निरंतरता:

➢ इसमें प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल स्तरों पर सिकल सेल रोग वाले व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल है।

➢ उपचार सुविधाएं तृतीयक स्वास्थ्य सुविधाओं पर उपलब्ध होंगी।

➢ रोगी सहायता प्रणाली की स्थापना करना और सामुदायिक गोद लेने को प्रोत्साहित करना।

कार्यान्वयन:

- कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के भाग के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा।
- एनएचएम के तहत मौजूदा तंत्रों, जैसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) और प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के साथ एकीकरण किया जाएगा।

Topic	Sickle Cell Disease
Definition	Hereditary disease causing misshapen red blood cells
Cause	Mutations in hemoglobin genes
Inheritance	Autosomal recessive
Impact	Anaemia, impaired blood flow, chronic pain syndromes, severe infections, tissue necrosis, organ damage
Risk Groups	Sub-Saharan Africa, India, Saudi Arabia, Mediterranean countries, endogamous communities
Management	High fluid intake, healthy diet, folic acid supplementation, pain medication, vaccination and antibiotics
Cure	Gene therapy (in development), stem cell transplants (in development)
World Sickle Cell Day	June 19th

NEWS IN BETWEEN THE LINES

स्थानीय रूप से प्राप्त मलेरिया

संदर्भ: हाल ही में, अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (CDC) ने फ्लोरिडा और टेक्सास में स्थानीय रूप से प्राप्त मलेरिया (LAM) के मामलों की सूचना दी है, जो दो दशकों में देश में ऐसे मामलों की पहली घटना है।

मलेरिया का संचरण:

- मलेरिया संचरण के लिए मच्छरों द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति को काटने और पुनः दूसरे व्यक्ति को काटने की आवश्यकता होती है, जिससे यह बीमारी स्थानीय स्तर पर फैल जाती है।
- स्थानीय संचरण तब होता है जब रोग उन व्यक्तियों में होता है जिनका हाल ही में कोई यात्रा का इतिहास नहीं रहा है।

सीडीसी की सिफ़ारिशें और तत्काल मूल्यांकन:

- सीडीसी ने सिफारिश की है कि स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर अज्ञात मूल के बुखार वाले रोगियों के लिए मलेरिया को निदान के रूप में माना जाय , भले ही उनका यात्रा इतिहास कुछ भी हो।
- मलेरिया होने के संदेह वाले मरीजों का तत्काल उचित चिकित्सा सुविधा में मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

फ्लोरिडा और टेक्सास में स्थानीय रूप से प्राप्त मलेरिया के मामले:

- फ्लोरिडा में इस वर्ष स्थानीय रूप से प्राप्त मलेरिया के चार मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से दो मामले 18 से 24 जून, 2023 के बीच सारासोटा काउंटी से रिपोर्ट किए गए हैं।
- फ्लोरिडा में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से जुड़े मलेरिया के 23 मामले दर्ज किए गए।
- कैमरून काउंटी, टेक्सास में स्थानीय रूप से प्राप्त मलेरिया के एक मामले की पहचान की गई।

मलेरिया के लक्षण और निदान:

- मलेरिया सामान्य तौर पर बुखार, ठंड लगना, मतली और पसीना सहित फ्लू जैसे लक्षणों के साथ प्रकट होता है।
- यदि उपचार न किया जाए तो मलेरिया के परिणामस्वरूप , दौरे, एनीमिया और गुर्दे की क्षति हो सकती है।

eSARAS मोबाइल ऐप

संदर्भ: हाल ही में, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) ने स्वयं सहायता समूहों (SHG) में महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए eSARAS मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है।

eSARAS मोबाइल ऐप:

eSARAS एक ई-कॉमर्स मोबाइल ऐप है जो उत्पादों के विपणन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। यह पहल भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) के तहत डीएवाई-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) द्वारा संचालित की जा रही है।

उद्देश्य:

इस ऐप का लक्ष्य महिला कारीगरों द्वारा उत्पादित उत्कृष्ट और प्रामाणिक हस्तशिल्प और हथकरघा को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक अधिक प्रभावी और सुलभ बाज़ार प्रदान करना है।

FDRVC:

- ग्रामीण विकास मंत्रालय और टाटा ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स (FDRVC) का गठन किया है।
- DAY-NRLM विपणन पहल:
- DAY-NRLM SHG को समर्थन देने के लिए 360-डिग्री मार्केटिंग दृष्टिकोण अपनाता है।
- इन उत्पादों को व्यापक दर्शकों के सामने प्रचारित करने और प्रदर्शित करने के लिए सरस मेला और सरस फूड फेस्टिवल जैसे ऑन-ग्राउंड कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाना:

- DAY-NRLM का प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक SHG परिवार को आजीविका के 2-3 स्रोत प्रदान करना है।
- SHG उत्पादों के विपणन सहित गैर-कृषि उद्यम इसे प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

ग्रीडफ्लेशन

संदर्भ: हाल ही में, "ग्रीडफ्लेशन" की परिघटना और अर्थव्यवस्था पर इसके संभावित प्रभाव पर चिंता बढ़ रही है।

ग्रीडफ्लेशन क्या है?

ग्रीडफ्लेशन उस परिघटना को संदर्भित करती है जहां कंपनियां लाभ-प्राप्ति के उद्देश्यों से प्रेरित होकर वास्तविक उत्पादन लागत या बाजार की मांग से परे कीमतें बढ़ाती हैं।

कारण:

ग्रीडफ्लेशन तब होती है जब कंपनियां लागत कारकों या बाजार की गतिशीलता के आधार पर उचित मूल्य निर्धारण बनाए रखने के बजाय अपने मुनाफे को अधिकतम करने को प्राथमिकता देती हैं।

मुद्रास्फीति पर प्रभाव:

ग्रीडफ्लेशन किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव में योगदान कर सकता है क्योंकि उत्पादन लागत या मांग में वृद्धि के बिना कीमतें बढ़ती हैं।

उपभोक्ताओं पर प्रभाव:

ग्रीडफ्लेशन के कारण उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं, उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है और संभावित रूप से उपभोक्ता विश्वास प्रभावित होता है।

नकारात्मक प्रभाव:

ग्रीडफ्लेशन आर्थिक स्थिरता को कमजोर कर सकती है, बाजार की गतिशीलता को विकृत कर सकती है और आय वितरण को प्रभावित कर सकती है क्योंकि अत्यधिक कीमत बढ़ने से उपभोक्ताओं के बजट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य:

ग्रीडफ्लेशन किसी विशिष्ट देश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है; यह विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं में हो सकती है, जिससे उपभोक्ता कल्याण और व्यापक आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ सकता है।

निगरानी और शमन:

सरकारें और केंद्रीय बैंक उचित नियामक उपायों और मौद्रिक नीति हस्तक्षेपों के माध्यम से ग्रीडफ्लेशन की परिघटनाओं की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए मूल्य वृद्धि और बाजार व्यवहार की बारीकी से निगरानी करते हैं।

मेकेदातु जलाशय परियोजना

संदर्भ: हाल ही में कर्नाटक के रामनगर जिले में कनकपुरा के पास मेकेदातु जलाशय परियोजना के निर्माण का प्रस्ताव आया है।

उद्देश्य:

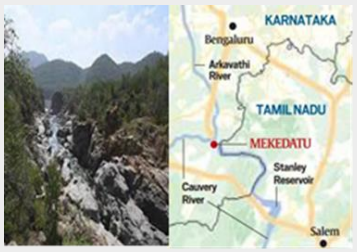

इस परियोजना का लक्ष्य बेंगलुरु और पड़ोसी क्षेत्रों (4.75 टीएमसी) को पीने का पानी उपलब्ध कराना है और इसमें 400 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है। हालाँकि, पर्यावरणविदों ने चिंता जताई है और शहर की पानी की समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक समाधान सुझाए हैं।

मेकेदातु जलाशय परियोजना:

- मेकेदातु जलाशय परियोजना एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है जिसमें कर्नाटक में कनकपुरा के पास एक संतुलन जलाशय का निर्माण शामिल है।
- यह परियोजना तमिलनाडु सीमा से 4 किमी और बेंगलुरु से लगभग 100 किमी दूर स्थित है।
- जलाशय का नाम उस गांव के नाम पर रखा गया है जहां इसका निर्माण होने की उम्मीद है, इसकी क्षमता 284,000 मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) होगी।
- प्रस्तावित परियोजना स्थल कावेरी नदी और उसकी सहायक नदी अर्कावती के संगम पर है।
- परियोजना से जुड़ा मुख्य मुद्दा निचले तटीय राज्य तमिलनाडु द्वारा उठाई गई आपत्ति है, जिसका तर्क है कि यह परियोजना उसकी जल आवश्यकताओं के विरुद्ध है।
- कावेरी ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, कावेरी नदी पर किसी भी परियोजना के लिए निचले तटवर्ती राज्य की अनापत्ति की आवश्यकता होती है।

खबरों में स्थान

पैंगोंग त्सो झील

संदर्भ: हाल ही में भारत और चीन द्वारा लद्दाख और तिब्बत में पैंगोंग झील के उत्तरी तट पर बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है।

भौगोलिक अवस्थिति:

पैंगोंग त्सो झील हिमालय में लगभग 4,350 मीटर (14,270 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत से तिब्बत (चीन) तक फैली हुई है और पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में पड़ती है।

सीमा क्षेत्र:

यह झील भारत और चीन के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) जो दोनों देशों को अलग करती है, झील के पूर्वी भाग से होकर गुजरती है।

आकार और आमाप:

पैंगोंग त्सो एक लंबी, संकरी झील है जिसकी लंबाई लगभग 134 किलोमीटर (83 मील) है। यह भारत की सबसे बड़ी ऊंचाई वाली झीलों में से एक है।

त्रिस्तरीय आकृति विज्ञान:

झील में तीन अलग-अलग खंड या बेसिन हैं जिन्हें आंतरिक, बाहरी और तटस्थ क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इन क्षेत्रों की विशेषता अलग-अलग गहराई और लवणता स्तर हैं।

सीमा पार झील:

पैंगोंग त्सो एक ट्रांसबाउंड्री झील है, यानी यह भारत और चीन द्वारा साझा की जाती है। झील का पश्चिमी भाग भारतीय क्षेत्र में है जबकि इसका पूर्वी भाग चीनी नियंत्रण में आता है।

प्रवासी पक्षी और वन्यजीव:

यह झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करती है, जिससे यह पक्षी देखने वालों के लिए सुखभवन बन जाती है। झील के आसपास का जलग्रहण क्षेत्र मर्मोट्स और किआंग (जंगली गधे) सहित विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों का घर है।